न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी — राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर. ए. एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या : 16/2020

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनू

— प्रार्थी

बनाम

बुला राम पुत्र श्री नारायण सिंह, जाति नायक, उम्र 36 साल ,निवासी वार्ड नं. 03 मण्डावा थाना मण्डावा जिला झुन्झुनूं।

— अप्रार्थीगण

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :—

1. लोक अभियोजक ..... सरकार की ओर से।

—: निर्णय :—

दिनांक : 12.11.2020

सक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक झुन्झुनू ने दिनांक 06.10.2020 को इस्तगासा पेश किया कि गैर सायल बुला राम पुत्र श्री नारायण सिंह, जाति नायक, उम्र 36 साल, निवासी वार्ड नं. 03 मण्डावा, थाना मण्डावा, जिला झुन्झुनूं एक आपराधिक मनोवृति का बदमाश व्यक्ति है। यह अव्वल दर्जे का आदतन जुआरी है। यह अवैध जुआ के कारोबार मे युवा पीढी को धकेल रहा है। इसका जुआ का कारोबार लगातार बढ रहा है। इसके डर के कारण कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ थाने पर इसकी गतिविधियों की सूचना देने व रिपोर्ट दर्ज कराने से कतराता है तथा ना ही कोई व्यक्ति इसके विरूद्ध गवाही देने के लिये तैयार होता है। उक्त गैर सायल के कृत्य के कारण कस्बा मण्डावा व आस पास के क्षेत्र मे जुआ खेलने वालो की संख्या में वृद्वि हुई है। उक्त गैर सायल के कृत्य अभी भी मौका लगने पर लगातार जारी है इसकी इस प्रकार की गतिविधियों से युवा पीढी व समाज मे

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Prasad Agarwal
Date: 2020.11.12 16:58:35 IST
Reason: SelfAttested

विपरीत असर पड रहा है युवा पीढी को अवैध जुआ के कारोबार की तरफ खींचता ले जा रहा है। इस कारण से युवा पीढी के लोग घरों से पैसे व गहना एवं अन्य कीमती सामान आदि को दांव पर लगा देते है तथा जुआ में हार होने की स्थिति में अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते है तथा आत्महत्या करने की ओर भी अग्रसर हो जाते है। गैर सायल उपरोक्त के विरूद्ध जुआ खेलने के संबंध में अब तक 04 अभियोग दर्ज हो चुके है। इसके जिले की सीमाओ मे रहने से आपराधिक गतिविधियों को बढावा मिलेगा तथा अपने कृत्यों को लगातार अन्जाम देगा। ऐसी स्थिति में शक्स की उक्त गतिविधियो पर लगाम रखने के लिए सख्त से सख्त कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। उक्त शख्स द्वारा किये गये अपराधों का विवरण निम्न प्रकार है।

क0 स0	मु0न0	दिनांक	नाम थाना	धारा	चार्जशिट नं. मय दिनांक	नतीजा न्यायालय
1	11/12	27.01.12	मण्डावा	13 आरपीजीओ	05/12 दिनांक 30.1.12	दिनांक 24.02.12 को श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग झुन्झुनूं द्वारा 100 रूपये जुर्माना
2	60/12	06.07.12	मण्डावा	13 आरपीजीओ	44/12 दिनांक 11.7.12	दिनांक 19.07.12 को श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग द्वारा 100 रूपये जुर्माना
3	103/16	15.9.16	मण्डावा	13 आरपीजीओ	75/16 दिनांक 17.9.16	विचाराधीन न्यायालय
4	109/18	15.11.18	मण्डावा	13 आरपीजीओ	90/18 दिनांक 17.11.18	दिनांक 27.11.18 को श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट झुन्झुनूं द्वारा 200 रूपये जुर्माना

इस प्रकार बुला राम पुत्र श्री नारायण सिंह, जाति नायक, उम्र 36 साल ,निवासी वार्ड नं. 03 मण्डावा थाना मण्डावा जिला झुन्झुनूं का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) की पूर्ण परिभाषा में आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा पेश होने पर गैर सायल को नोटिस देकर तलब किया गया तथा दिनांक 03.11.2020 को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम का मौखिक सारांश सुनाया गया, जिसे गैर सायल

अति. जिला मजिस्ट्रेट झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Prasad Agarwal
Date: 2020.11.12 16:58:35 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा स्वैच्छा से स्वीकार किया गया। ऐसी स्थिति में गवाहन को तलब किये जाने का कोई औचित्य शेष नही रह जाता है। प्रकरण में बहस अन्तिम सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान एपीपी–1 ने बताया कि गैर सायल के खिलाफ पुलिस थाना मण्डावा जिला झुन्झुनू में एकाधिक अभियोग दर्ज होकर उनमें गैर सायल दोष सिद्व हुआ है। जिसके कारण गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) के अधीन अपराध करने के कारण गुण्डा की तारिफ में आता है। अतः इसे पुलिस थाना मण्डावा जिला झुन्झुनू की समस्त सीमाओं से निष्कासित किया जावें।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान एपीपी–1 की दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों/साक्ष्यों के मुताबिक गैर सायल बुला राम के खिलाफ 13 आरपीजीओ के तहत कुल 04 प्रकरण दर्ज होकर उनमें से तीन प्रकरणों में गैर सायल दोष सिद्व हुआ है तथा एक प्रकरण विचाराधीन है। जिनकी प्रमाणित प्रतियां इस्तगासे के साथ संलग्न है। गैर सायल बुला राम द्वारा 04 बार ऐसा अपराध करने के कारण राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत गुण्डा की परिभाषा में आता है। धारा 8 के अनुसार ऐसे प्रकरणों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है तथा साक्ष्य का प्रोबेटिव वेल्यु होने के कारण उक्त दस्तावेज सम्पुष्टि के लिए पर्याप्त है। अतः पुलिस अधीक्षक द्वारा लिखित सूचना पर राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के नियम 3 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत की आवश्यकता नही है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गैर सायल अगर इस क्षेत्र में बना रहता है तो वह ऐसे अपराधों की पुनरावृति तथा युवा पीढी को ऐसी सामाजिक बुराई के अपराध में संलिप्त कर उन्हें दिशा भ्रमित कर सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है तथा आम जन की जान–माल को नुकशान पहुंचा सकता है। ऐसी स्थिति में इस्तगासा राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 में अंकित विश्वास के कारणों के चलते गैर सायल बुला राम को मण्डावा थाना क्षेत्र से निष्कासित करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूं।

अतः गैर सायल बुला राम पुत्र श्री नारायण सिंह, जाति नायक, उम्र 36 साल ,निवासी वार्ड नं. 03 मण्डावा थाना, मण्डावा जिला झुन्झुनूं को राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Prasad Agarwal
Date: 2020.11.12 16:58:35 IST
Reason: SelfAttested

की धारा 3 (3) के तहत 15 दिवस की अवधि के लिए मण्डावा थाना क्षेत्र की सम्पूर्ण सीमा से बाहर पुलिस थाना मुकुन्दगढ, जिला झुन्झुनू के लिए निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस दौरान गैर सायल ऐसे अपराध एवं अन्य असामाजिक गतिविधियों में शामिल नही रहेगा तथा उक्त 15 दिवस की अवधि में जहां भी निवास करे, थानाधिकारी, पुलिस थाना मुकुन्दगढ, जिला झुन्झुनू को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर उस स्थान की सूचना पुलिस थाना मण्डावा, जिला झुंझुनूं को देंगे तथा थानाधिकारी पुलिस थाना, मण्डावा, जिला झुंझुनूं उचित पते की सूचना प्राप्त होने पर गैर सायल की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। यह निर्णय दिनांक 12.11.2020 के पश्चात 1 माह के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
झुंझुनूं(राज.)

निर्णय आज दिनांक 12.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
झुंझुनूं(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Prasad Agarwal
Date: 2020.11.12 16:58:35 IST
Reason: SelfAttested